

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 431]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 15 सितम्बर 2014—भाद्र 24, शक 1936

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्र. एफ 12-32-2013-4-पच्चीस-5.—हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, मध्यप्रदेश को इस अधिनियम की धारा 31/1 के तहत उल्लेखित कार्य करने हेतु शक्ति प्रदत्त करती है.

No. F-12-32-2013-4-XXV-4.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 32 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (No. 25 of 2013), the State Government, hereby, designate Madhya Pradesh State Scheduled Caste Commission as an appropriate authority, within the State, to perform mutatis mutandis, the functions specified in sub-section (1) of 31.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.